पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुश्री प्रिया बजाज

प्रकरण सं0 : 210/2024

अनवान :

वेदप्रकाश पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. रिछपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।
2. प्रियंका पुत्री रिछपाल जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।
3. आरएमजीबी शाखा कलाना जरिये शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा कलाना त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरजीत बिजारणिया एवं वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 152/148 के ख0सं0 177/2 की 3.063 है0 तथा ख0सं0 219/3 की 0.392 है0 कुल 3.455 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 रिछपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 रिछपाल अकेले की बजाय वादी वेदप्रकाश व प्रतिवादी संख्या 1 रिछपाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.02.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

5.2.25

Signature Not Verified

Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.02.18 16:49:08 IST
Reason: SelfAttested

(प्रिया बजाज) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुश्री प्रिया बजाज

प्रकरण सं0 : 210/2024

अनवान :

वेदप्रकाश पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. रिछपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।
2. प्रियंका पुत्री रिछपाल जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।
3. आरएमजीबी शाखा कलाना जरिये शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा कलाना त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरजीत बिजारणिया : वादी

वकील श्री श्रवण सहारण : **प्रतिवादी सं0 1 ता 2**

दिनांक :

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 152/148 के ख0सं0 177/2 की 3.063 है0 तथा ख0सं0 219/3 की 0.392 है0 कुल 3.455 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 रिछपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।वादभूमि पहले वादी के दादा मनफुल पुत्र सोहनलाल की खातेदारी हुआ करती थी जो मनफुल के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 तथा 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामील के हाजिर नहीं आये उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में वेदप्रकाश पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम अलायला खाता संख्या 152/148 सम्वत 2073-76 प्रदर्श 1. जमाबंदी ग्राम अलायला ख[illegible] 95/83 सम्वत 2065 से 2068 प्रदर्श 2. सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम [illegible] तथा शपथ पत्र वेदप्रकाश पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी अलायला [illegible]

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी [illegible] वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस

05.02.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.02.18 16:49:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम अलायला के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 152/148 के ख0सं0 177/2 की 3.063 है0 तथा ख0सं0 219/3 की 0.392 है0 कुल 3.455 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 रिछपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 रिछपाल अकेले की बजाय वादी वेदप्रकाश व प्रतिवादी संख्या 1 रिछपाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 152/148 के ख0सं0 177/2 की 3.063 है0 तथा ख0सं0 219/3 की 0.392 है0 कुल 3.455 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 रिछपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 रिछपाल अकेले की बजाय वादी वेदप्रकाश व प्रतिवादी संख्या 1 रिछपाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05.02.2025
(प्रिया बजाज) RAS
सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.02.18 16:49:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner